KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880
BPSC - Polity
By : Karan Sir

चुनावी फंडिंग

- चुनावी फंडिंग वह धनराशि है जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए प्राप्त होती है। यह धनराशि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकती है, जिनमें व्यक्तियों, संगठनों, और सरकारें शामिल हैं। चुनावी फंडिंग चुनावी प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह उम्मीदवारों को प्रचार, अभियान प्रबंधन और अन्य चुनावी खर्चों को वहन करने में मदद करता है।

चुनावी फंडिंग का महत्व

- चुनावी फंडिंग का चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण महत्व है। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करती है। चुनाव प्रचार में शामिल हैं:
  - उम्मीदवारों और उनके विचारों को जनता के सामने पेश करना
  - मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना
- चुनावी फंडिंग के बिना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के पास चुनाव जीतने का बहुत कम मौका होता है।

चुनावी फंडिंग के स्रोत

- चुनावी फंडिंग के निम्नलिखित स्रोत हैं-

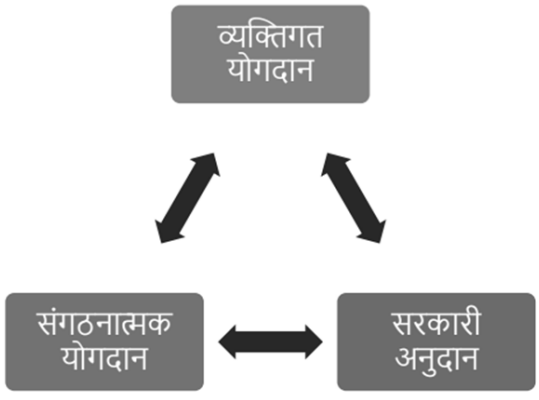

- **व्यक्तिगत योगदान:** व्यक्तिगत योगदान चुनावी फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में, व्यक्तिगत योगदान की सीमा रु. 2,000 है।
- **संगठनात्मक योगदान:** संगठनात्मक योगदान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्राप्त होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। संगठनात्मक योगदान की सीमा रु. 20,000 है।
- **सरकारी अनुदान:** सरकारें भी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अनुदान प्रदान कर सकती हैं। भारत में, सरकारी अनुदान की सीमा रु. 2,000 है।

चुनावी फंडिंग के नियम

- भारत में, चुनावी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग अधिनियम, 1951 बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी फंडिंग से संबंधित निम्नलिखित नियमों का पालन करना होता है-
  - राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी चुनावी फंडिंग की रिपोर्ट चुनाव आयोग को देनी होती है।
  - राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को केवल वैध स्रोतों से चुनावी फंडिंग प्राप्त करने की अनुमति है।
  - राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी फंडिंग का उपयोग केवल चुनाव प्रचार के लिए ही करना होता है।

भारत में चुनावी फंडिंग के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध भी हैं

- **विदेशी अंशदान:** विदेशी नागरिक या संस्थान किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को कोई दान नहीं दे सकते हैं।
- **अप्रत्यक्ष दान:** कोई व्यक्ति या संस्थान किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान के माध्यम से दान नहीं दे सकता है।

चुनावी फंडिंग से संबंधित मुद्दे

- चुनावी फंडिंग से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे इस प्रकार हैं-

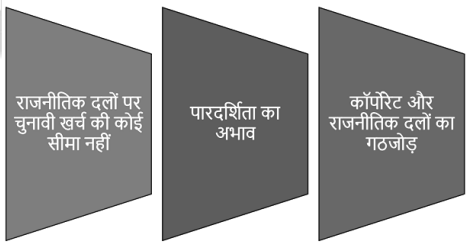

- **राजनीतिक दलों पर चुनावी खर्च की कोई सीमा नहीं**
  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत केवल उम्मीदवारों के लिए ही चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इसके विपरीत, राजनीतिक दलों पर चुनावी खर्च के मामले में ऐसी कोई सीमा नहीं है।

☞ **पारदर्शिता का अभाव**

- ❖ राजनीतिक दलों को उनके द्वारा प्राप्त धन के स्रोत का विवरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होती है। नतीजतन, चुनाव के समय राजनीतिक दलों के दाताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।
- ❖ उल्लेखनीय है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर 100 प्रतिशत आयकर की छूट दी गई है।
- ❖ इसके अतिरिक्त, पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों में से केवल 0.96 प्रतिशत दलों ने ही निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी अनुदान प्राप्ति की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

☞ **कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों का गठजोड़**

राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट जगत से मिलने वाले चंदे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, चुनावी बॉण्ड में गोपनीयता का भी प्रावधान है, जिसके चलते यह गठजोड़ और मजबूत बन जाता है।

चुनाव सुधार से संबंधित मुद्दे

चुनाव सुधार से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे हैं-

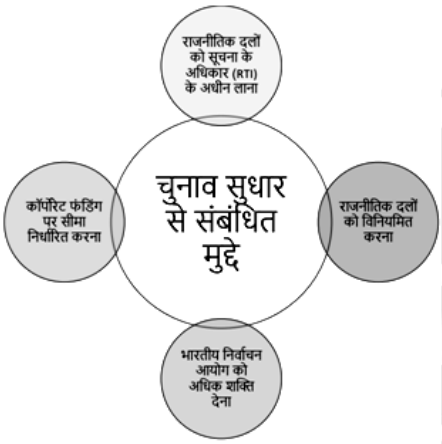

☞ **राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (RTI) के अधीन लाना**- राजनीतिक दलों को केंद्रीय सूचना आयोग के 2013 के आदेश का पालन करना चाहिए। इस आदेश में उन्हें ल्ज् अधि नियम, 2005 के तहत लोक प्राधिकारी घोषित किया गया थाद्य इस आदेश के पालन से उन्हें और अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है।

☞ **राजनीतिक दलों को विनियमित करना**- राजनीतिक दलों को विनियमित करने वाला एक व्यापक विधेयक लाना समय की मांग है। यह विधेयक दल के संविधान, संगठन, आंतरिक चुनाव, उम्मीदवार के चयन आदि से संबंधित होना चाहिए।

☞ **भारतीय निर्वाचन आयोग को अधिक शक्ति देना**- निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा गैर-अनुपालन के मामले में उन पर कठोर दंड आरोपित करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए।

☞ **कॉर्पोरेट फंडिंग पर सीमा निर्धारित करना**- राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की राशि पर एक ऊपरी सीमा निर्धारित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियां अपने वार्षिक निवल लाभ का 7.5% तक ही चंदा या दान दे सकती हैं।

☞ **कुछ ऐसे दान है जिस पर या तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उन्हें सीमित किया जा सकता है-**

- ❖ सार्वजनिक/अर्द्ध-सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पब्लिक फंड्स का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनुपालन की निगरानी की व्यापक संभावना के लिए गुमनाम स्रोतों को प्रतिबंधित या सीमित किया जा सकता है।
- ❖ राजनीतिक दलों के एकाउंट्स की लेखापरीक्षा करना: राजनीतिक दलों को पूर्व निर्धारित लेखाशीष 21 के तहत उचित लेखाओं को बनाए रखना चाहिए। ऐसे लेखाओं की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा अनुशंसित एवं अनुमोदित लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा होनी चाहिए।

चुनाव की फंडिंग और सुप्रीम कोर्ट का फैसला

☞ चुनाव की फंडिंग एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है। यह राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है ताकि वे चुनाव लड़ सकें और जीत सकें। हालांकि, चुनाव की फंडिंग का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है।

☞ भारत में चुनाव की फंडिंग के लिए कई कानून हैं। इन कानूनों का उद्देश्य चुनाव को स्वच्छ और पारदर्शी बनाना है। हालांकि, इन कानूनों में कई कमियां हैं। इन कमियों के कारण चुनाव की फंडिंग का दुरुपयोग हो सकता है।

चुनाव की फंडिंग के दुरुपयोग के कुछ उदाहरण हैं:

- ❖ राजनीतिक दल धन के बदले में वोट खरीद सकते हैं।
- ❖ राजनीतिक दल धन के बदले में सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।
- ❖ राजनीतिक दल धन के बदले में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं।

☞ चुनाव की फंडिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए, भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं। इन कानूनों में शामिल हैं:

- ❖ चुनावी व्यय सीमा अधिनियम, 1975
- ❖ राजनीतिक दल वित्त अधिनियम, 2002
- ❖ चुनावी आचार संहिता

☞ इन कानूनों के तहत, राजनीतिक दलों को चुनाव में खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई है। राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि वे चुनाव में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं।

- हाल ही में, भारत में चुनाव की फंडिंग को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ है। इस विवाद का कारण है इलेक्टोरल बॉन्ड योजना।
- इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत, राजनीतिक दल 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। इन बॉन्ड को किसी भी बैंक में जमा किया जा सकता है।
- इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की कई आलोचनाएं हुई हैं। इन आलोचनाओं में शामिल हैं:
  - इस योजना में पारदर्शिता नहीं है।
  - इस योजना का दुरुपयोग हो सकता है।
  - इस योजना से राजनीतिक दलों में धन की असमानता बढ़ सकती है।
- इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की और 25 फरवरी, 2023 को अपना फैसला सुनाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह योजना चुनावी व्यय सीमा अधि नियम, 1975 का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस योजना में पारदर्शिता नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक महत्वपूर्ण फैसला है। यह फैसला चुनाव की फंडिंग को लेकर एक नई दिशा देगा। इस फैसले से चुनाव की फंडिंग के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव की फंडिंग

- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, भारत में चुनाव की फंडिंग के लिए नए कानून बनाने की जरूरत है। इन कानूनों को चुनाव की फंडिंग को और अधिक पारदर्शी बनाने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया जाना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव की फंडिंग के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं:
  - चुनाव की फंडिंग के लिए एक निश्चित तंत्र बनाया जाना चाहिए।
  - राजनीतिक दलों को चुनाव में खर्च करने की सीमा को और अधिक कम किया जाना चाहिए।
  - चुनाव की फंडिंग के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- इन सुझावों को लागू करने से चुनाव की फंडिंग को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सकता है। इससे चुनावी दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

चुनावी बॉण्ड के लाभ और नुकसान

- चुनावी बॉण्ड के लाभ और नुकसान को एक तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है-

चुनावी बॉण्ड के लाभ और नुकसान		
क्र.सं.	चुनावी बॉण्ड के लाभ	चुनावी बॉण्ड के नुकसान
1.	यह राजनीतिक दलों को अधिक पारदर्शी तरीके से कार्य करने में मदद करता है।	गुमनाम स्रोतों से प्राप्त दान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के साथ समझौता कर सकता है।
2.	यह चुनावी फंडिंग में नकदी को हतोत्साहित करता है।	चुनावी बॉण्ड कंपनी द्वारा चंदा देने की निर्धारित 7.5% की ऊपरी सीमा को अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त करता है।
3.	चुनावी बॉण्ड के माध्यम से दान केवल दल के बैंक खाते में ही जमा किया जाता है। निर्वाचन आयोग को इस खाते का पूर्ण विवरण दिया जाता है।	मतदाता यह नहीं जान पाते हैं कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस दल को चंदा दिया है।

चुनाव और प्रौद्योगिकी

- चुनावी प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की शुरुआत दुनिया भर में मतदाताओं के साथ-साथ विशेषज्ञों के बीच भी रुचि तथा चिंता दोनों पैदा कर रही है।
- दुनिया भर में अधिकांश चुनाव प्रबंधन निकाय (EMBS) चुनावी प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से नई तकनीकों का उपयोग करते हैं।

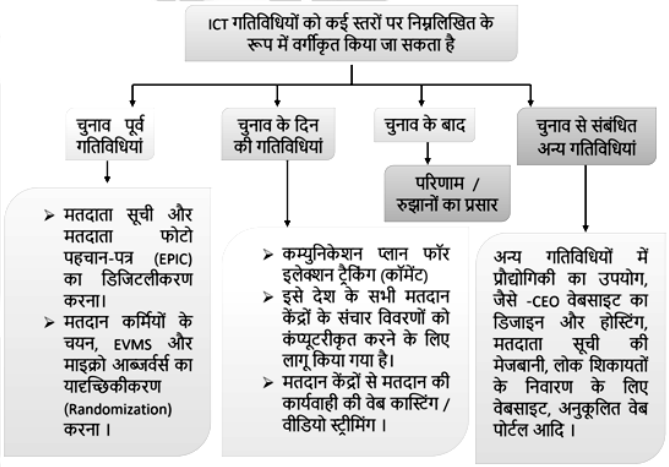

चुनावों में प्रौद्योगिकी का महत्त्व

- चुनाव में प्रौद्योगिकी का निम्नलिखित महत्त्व हैं-

पारदर्शिता धोखाधड़ी को रोकना

- यह पारदर्शिता धोखाधड़ी को रोकती है। इस प्रकार यह एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।

मतदाता रजिस्टर की सटीकता में सुधार करने में मदद

☛ उदाहरण के लिए- ब्राजील में इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पंजीकरण प्रणाली बनाई गई है। इसका उद्देश्य मतदाताओं का एक से अधिक स्थानीय रजिस्ट्रियों में पंजीकरण होने से रोकना है।

मतदाताओं का पहुंच असान

☛ उदाहरण के लिए भारत ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ETPBS) 22 की शुरुआत की है। यह प्रणाली सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्रों का एक तरफा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है।

❖ इसने उन सेवा मतदाताओं के लिए मतदान को अधिक सुलभ बना दिया है, जो अपने पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्र में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

दक्षता में सुधार

☛ प्रौद्योगिकी के माध्यम से चुनाव कार्यालय प्रबंधन प्रक्रियाओं में प्राप्त दक्षता सभी मतदाताओं की सेवाओं में सुधार करती है। इसके अंतर्गत चुनाव कार्यालयों में कर्मचारियों की गतिविधियों का समन्वय भी शामिल है।

मतदान प्रतिशत में सुधार

☛ इंटरनेट विशेष रूप से मतदाता पहुंच के लिए उपयोगी है। यह विशेष रूप से युवा मतदाताओं के लिए उपयोगी है, जो अपनी अधिकांश जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करते हैं।

चुनाव से संबंधित जानकारी का प्रसार करना

☛ एजेंसियां वेब साइट्स, ई-न्यूजलेटर्स, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट आदि के माध्यम से जानकारी का प्रसार कर सकती हैं।

चुनाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित चुनौतियां

☛ चुनाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित चुनौतियां इस प्रकार हैं-

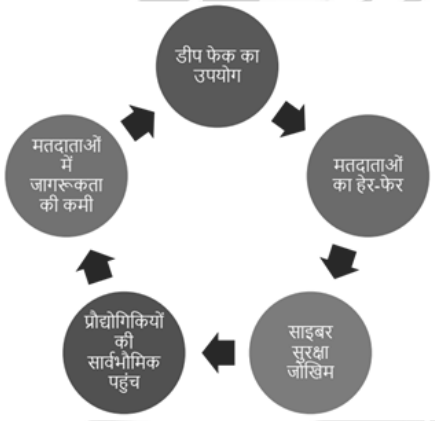

डीप फेक का उपयोग

☛ इसके जरिए विघटनकारी तत्व लोक धारणा को बदलने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, ऐसे तत्त्व डीप फेक को बार-बार तथ्य के रूप में पेश करके उपयोगकर्ता को भ्रमित कर सकते हैं।

❖ उदाहरण के लिए- चुनाव से ठीक पहले EVM हैकिंग पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, टी. एस. कृष्णमूर्ति का एक डीप फेक वीडियो प्रसारित हुआ था।

मतदाताओं का हेर-फेर

☛ उदाहरण के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति अभियान के लिए कार्य किया था। इसके लिए एनालिटिका ने मतदाता प्रोफाइलिंग एवं लक्ष्यीकरण के उद्देश्यों से लाखों फेसबुक खातों से व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त की थी।

साइबर सुरक्षा जोखिम

☛ उदाहरण के लिए- रूस पर यह आरोप लगा था कि उसने वोट डेटा वाले कंप्यूटरों में हैकिंग के माध्यम से 2016 के संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की थी।

प्रौद्योगिकियों की सार्वभौमिक पहुंच

☛ प्रौद्योगिकियां बहुत कम या बिना किसी लागत के सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी इन प्रौद्योगिकियों का देश के भीतर या बाहर से उपयोग कर सकता है और उनमें हेर-फेर कर सकता है। इसके माध्यम से सुभेद्य समूहों को लक्षित किया जा सकता है और लोकतंत्र की शुचिता को कम किया जा सकता है।

मतदाताओं में जागरूकता की कमी

☛ मतदाताओं का इस पर नियंत्रण बहुत कम है कि उन्हें सोशल मीडिया द्वारा कैसे प्रोफाइल किया जाता है और इसका उनके फीड पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर क्या असर पड़ता है।

●●●